



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE, JAIPUR
 नव केन्द्रीय राजस्व भवन, सी- स्कीम, स्टेचू सर्किल, जयपुर
NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, C-SCHEME, STATUE CIRCLE, JAIPUR
 (सतर्कता शाखा/ Vigilance Branch)

आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों से सम्बंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा फा. सं. 11013/3/2009/स्था.(ए) के दिनांक 21.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन एवं विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.03.1997 के दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 09.12.2019 तथा 27.10.2020 के आदेश द्वारा पूर्व में गठित की गई शिकायत समिति में परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता है:

1. श्रीमती बबनीत तुली, अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर ।
2. श्रीमती अनुपमा सक्सेना, सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर ।
3. श्री जीवन राम ढाका, सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर ।
4. श्रीमती प्रिया गुप्ता, अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर ।
5. डा. मृदुल भसीन, मुस्कान (NGO), 45, हथरोई, जयपुर ।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत कोई भी महिला अधिकारी / कर्मचारी यदि कार्यालय क्षेत्र में स्वयं को यौन प्रताड़ना से उत्पीड़ित महसूस करती है एवं ऐसा उत्पीड़न CCS(Conduct) Rules, 1964 के नियम 3C के अंतर्गत दी गई परिभाषा में आना प्रतीत होता है तो वह अभिकथित घटना के घटित होने पर तुरंत अपनी शिकायत, समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है । जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले के नाम सहित अभिकथित यौन प्रताड़ना से सम्बंधित विवरण तथा सभी विषय वस्तु होनी चाहिए ।

I/1717639/2023

यह शिकायत-समिति यदि आवश्यक हो तो शिकायत के तथ्यों की जांच करेगी या पूछताछ करेगी ।

शिकायत की जांच के पश्चात शिकायत-समिति अधोहस्ताक्षरकर्ता को इसकी संस्तुति प्रस्तुत करेगी तथा मामले में की जाने वाली कार्यवाही की संस्तुति करेगी ।

Signed by

Chetan Kumar Jain

Date: 13-12-2023 17:26:01
(चेतन कुमार जैन)

प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :

1. अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर ।
2. आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर / उदयपुर / जोधपुर ।
3. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अपील्स), जयपुर / जोधपुर ।
4. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अंकेक्षण), जयपुर / जोधपुर ।
5. आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय- जयपुर) ।
6. उप/ सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग- A/B/C/D/E/F/G/H/I- जयपुर एवं J/K- अजमेर ।
7. अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को व्यक्तिगत प्रति ।
8. मुख्य लेखाधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (Hqrs./ DDO) ।
9. समस्त शाखा प्रभारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (मुख्या./ सेवोत्तम/ कर-अपवंचना/ तकनीकी/ डी.जी.ए.आर.एम./ विधि/ पुनरावलोकन/ न्यायनिर्णय/ वसूली/ सिस्टम/ सेरा-ऑडिट/ प्रशिक्षण/ सी.आर.यु./ राजभाषा/ सी.सी.यु.)
10. अधीक्षक (सिस्टम), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
11. सूचना पट्ट ।

प्रधान आयुक्त